न्यायालय मुंसिफ प्रथम, मधुबनी।

हकियत वाद सं0 54/1997
69/2018

20.04.2022	उभय पक्ष अनुपस्थित। वाद पुकारा गया। पुकारे जाने पर कोई भी उपस्थित नहीं हुई। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में दिनांक 29.05.1984 को तत्काल पदस्थापित श्री उमेश चन्द्र प्रसाद, मुंसिफ द्वितिय, मधुबनी के द्वारा निर्णय पारित किया गया तथा जयपत्र भी पारित है। उक्त निर्णय में वाद सविवाद साथ खर्चा के जयपत्रित किया गया। इस निर्णय के विरूद्ध हकियत अपील 14/1985 श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधुबनी के न्यायालय में दाखिल किया गया है। उक्त हकियत अपील 14/1985 दिनांक 16.03.1999 को श्रीमान् अपर सत्र न्यायायधीश चतुर्थ, मधुबनी के न्यायालय में अदम पैरवी में खारिज किया गया। मूल वाद हकियत वाद सं0 54/1997 के साथ हकियत अपील 14/1985 का दिनांक 16.03.1999 का आदेश फलक के साथ अभिलेख प्राप्त हुआ। जिसमें वाद को अग्रिम चलाये जाने के लिए कोई निर्देश नहीं है। अतः अब इस वाद का चलाये जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त परिस्थिति में वाद का निष्पादन किया जाता है। का0 लि0 अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें। लेखापित मुंसिफ प्रथम	